न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 20/24
जीसीएमएस संख्या 2024/103 वर्ष 2024

बउनवानीः—दिनेश चन्द पुत्र श्री रामूसिंह मीना निवासी ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील खण्डार

बनाम

1. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.8.2023 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ ड़िस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील अपीलान्ट
श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) — पैरोकार रसद

—ःनिर्णय ः— दिनांकः— 20.8.2025

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 28.8.2023 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात विपक्षी. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य होने योग्य हैं। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत दौलतपुरा तहसील खण्डार की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1369/2001 है एवं प्रार्थी को रसद सामग्री वितरण हेतु पोश मशीन संख्या 19871 आवंटित की गयी है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ग्राम पंचायत दौलतपुरा के उपभौक्ताओं को नियमित रूप से रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.6.2016 ,19.7.2016 एवं 5.8.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात दिनांक 24.3.2017 को संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभौक्ताओं द्वारा अपने आधार कार्ड एसं अंगूठे का बायोमेट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभौक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी नम्बर आता है जिसको उपभौक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री दी जाती है एवं रसद सामग्री प्राप्ति मैसेज उपभौक्ता के मोबाईल नम्बर पर आता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराईज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नही हो सकती एवं उक्त [illegible] से ऑनलाईन वितरण के कारण उपभौक्ताओ को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभौक्ता के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर आ जाने के कारण राशनकार्ड मे रसद सामग्री [illegible] आवश्यक नही है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभौक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद [illegible] दिये जाने बाबत आदेश पारित किये गये है। यह तर्क भी दिया [illegible] पूर्व में जिला रसद अ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:37:31 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा अपने आदेश दिनांक 8.8.2019 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया गया जिसको प्रार्थी द्वारा जरिये याचिका माननीय उच्च न्यायालय मे चुनौती दिये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनवायी की जाकर अपने आदेश दिनांक 30.7.2020 द्वारा निलंबन आदेश दिनांक 8.8.2019 की क्रियान्वति को स्थगित कर दिया गया जिसकी पालना में जिला रसद अधिकारी अपने आदेश दिनांक 5.8.2020 द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा राजनैतिक रंजिशवश प्रार्थी की झूंठी शिकायत की गयी जिसके आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक श्री रिपुदमन सिंह द्वारा दिनांक 17.01.2023 को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान की जॉच की गयी जिसकी रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.01.2023 को जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को प्रस्तुत की गयी जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 6.2.2023 द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः निलंबित किया जाकर दिनांक 10.2.2023 को कारण बताओं नोटिस जारी किया जिसमे ज्यादातर तकनीकी प्रकृति के आरोप अंकित किये गये जिसका उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 17.8.2023 को जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। किन्तु जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी के जवाब को कन्सीडर किये बिना एवं प्रार्थी को सुनवायी को अवसर दिये बिना ही अपने आदेश दिनांक 28.8.2023 से प्रार्थी का प्राधिकार पत्र अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 30.7.2020 प्रभावी था। यह तर्क भी दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवायी गयी ओर ना ही दस्तावेज आदि उपलब्ध करवाये,लेकिन जॉच दल द्वारा बिना किसी उचित माप तोल के ही अन्दाजन रसद सामग्री की गणना की जाकर प्रार्थी के उपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का अरोप प्रमाणित माना गया है जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई भी स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नही है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थी द्वारा रसद सामग्री का गबन किया हो। विधि मे यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में आरोपो को प्रमाणित नही माना जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एसबी क्रिमीनल 759/2025 की पालना में प्रार्थी के गोदाम मे पीओएस मशीन सख्या 19871 के स्टॉक मे दर्ज 65897.04 किलोग्राम गेहूं को अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.6.2025 को अटैचमेन्ट डीलर श्री गोरधन गर्ग ग्राम पंचायत अल्लांपुर की सुपुदर्गी मे दिया जा चुका है जिसको प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अटैचमेंट डीलर की दुकान में शिफ्ट करवा दिये गये है। बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी द्वारा बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के प्रार्थी के उपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए निरस्त किया गया जो विधिसम्मत आदेश की श्रेणी मे नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 28.8.2023 मे प्रार्थी के उपर प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,7,8,9,10,11,17 सी एवं 18 का उल्लंघन माना जाकर प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है किन्तु यह नही अंकित नही किया कि प्रार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लंघन किया है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी का एक मात्र रोजगार यह दुकान है तथा प्रार्थी के उपर पूरे परिवार का भरण पोषण का दायित्व है। प्रार्थी के उपर गबन एवं कालाबाजारी का कोई आरोप प्रमाणित नही है उसके बावजूद भी प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वि[illegible]परिपत्र दिनांक 25.3.1994 में तकनीकी अनियमित्ताओं बाबत डीलरो के चि[illegible] के दिशा निर्देश पारित किये गये। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:37:31 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट दिनेश चन्द मीना उ.मू.दुकानदार की वितरण संबंधी शिकायत पेश होने पर शिकायत की जांच क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक श्री रिपुदमन सिंह से करवाये जाने के आदेश दिये जाने पर श्री रिपुदमन सिंह द्वारा दिनांक 17.01.2023 को जॉच कर दिनांक 20.01.2023 को जॉच रिपोर्ट जिला रसद कार्यालय मे प्रस्तुत की गयी। जॉच के दौराने वितरण संबंधी एवं स्टॉक संबंधी पायी गयी अनियमितताओ के कारण उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र आदेश कमांक/अभियोग/2023/149 दिनांक 6.2.2023 को निलंबित किया जाकर पायी गयी अनियमिततओ के कम में कारण बताओ नोटिस कमांक 228 दिनांक 10.2.2023 जारी किया गया। दौराने जॉच निम्नांकित अनियमितताऐ पायी गंयी। 1. वरवक्त निरीक्षण दुकान बन्द मिली। 2. दुकान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक प्रदर्शन बोर्ड व अन्य सूचनाऐ दुकान पर अंकित नही करना पाया गया। 3. मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क किया गया किन्तु मोबाईल रिसीव नही किया गया। 4. ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि अधिकृत राशन की दुकान पर राशन का वितरण नही किया जाता है। महिने मे सिर्फ 1–2 दिन ही राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। शेष दिनो मे दुकान बंद रखी जाती है। गांव के एक बंद पडे खण्डर स्कूल में राशन वितरण किया जाता है एवं ज्यादातर ग्रामवासी राशन से वंछित रह जाते है। 5. ग्रामं वासियो द्वारा बताया गया कि दुकानदार द्वारा उपभौक्ताओं से अंगूठे लगवा लिये जाते है और बाद में राशन वितरण नही किया जाता है। 6. ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि राशन डीलर अधिकतर समय शराब के नशे मे रहता है एवं उपभौक्ताओं को डराता–धमकाता है। महिलाओ के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। 7. दुकानदार को दुकान पर बुलाने उप उपस्थित हुआ एवं दुकान पर उपलब्ध सामग्री का भौतिक सत्यापन करवाया गया। दुकान मे खाद्यान्न सामग्री शुन्य पायी गयी जबकि पोस मशीन मे एनएफएसए गेंहू 36940.04 किलोग्राम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 28957 किलोग्राम एवं अन्य सहायता का 4473 किलोग्राम गेंहू दर्ज है जिसका दुकानदार द्वारा गबन कर लिया गया। 8. मौके पर स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये। 9. मौके पर दुकान लाईसेंस , कियायानामा, दुकान नक्शा, उपलब्ध नही करवाया गया। उक्त नोटिस का जवाब अपीलान्ट द्वारा दिनांक 17.8.2023 को प्रस्तुत कर आरोप संख्या 1 को छोडकर सभी आरोप को गलत बताया गया है। यह तर्क भी दिया कि निलंबन के पश्चात दुकानदार ने माह फरवरी 2023 की मात्रा 5692.260 नियमित किलोग्राम गेंहू का पीओएस मशीन मे स्टॉक रिसिव नही किया गया एवं अटैचमेंट डीलर को केवल पीओएस मशीन संख्या 19871 सुपुर्द की गयी। खाद्यान्न सामग्री आज दिनांक 28.8.2023 तक नही दी गयी है। अटेचमेंट डीलर से लिया गया बयान पूछताछ क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.8.2023 को प्रस्तुत किया गया। यह तर्क भी दिया कि दुकानदार द्वारा एनएफएसए गेंहू 36940:04 किलोग्राम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का 28957 किलोग्राम एवं अन्य सहायता का 4473 किलोग्राम गेंहू अन्न सहायता चना 172 किलोग्राम एवं चीनी 337 किलोग्राम का प्रथम दृष्टया दुरूपयोग किया जाना पाया गया जो पीओएस मशीन मे वक्त जॉच दर्ज था इसके पश्चात प्रबंधक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम सवाईमाधोपुर द्वारा आवंटित माह फरवरी 2023 के पेटे मात्र 5692.260 किलोग्राम गेंहू नियमित योजना का पीओएस मशीन में रिसीव नही किया गया जिसका भी दुरूपयोग दुकानदार द्वारा कर लिया गया। श्री ... अटैचमेन्ट दुकानदार को केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:37:31 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

पीओएस मशीन संख्या 9871 सुपुर्द की गयी। खाद्यान्न सामग्री दिनांक 28.8.2023 तक नही दी गयी है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा कुल 76062.30 किलोग्राम गेंहूँ, 172 किलोग्राम चना एवं 337 किलोग्राम चीनी का दुरूपयोग किया जाना साबित होने पर अपीलान्ट का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्ते संख्या 2,5,7,8,9, 10,11,17(सी)एवं 18 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध होने के कारण दौराने जॉच पायी गयी अनियमितताओ पर अपीलान्ट डीलर को युक्तियुक्त सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु अपीलान्ट द्वारा उस पर लगाये गये आरोप बैबुनियाद होने बाबत कोई संतोष जनक जवाब एवं साक्ष्य सबूत पेश नही किया तथा दुरूपयोग किये गये गेंहू ,चना एवं चीनी अस्थायी डीलर को नही दिया गया। अतः राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के 8व 9 मे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गयां

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलान्ट डीलर श्री दिनेश चन्द मीना, उ0मू0दुकानदार ग्राम दोलतपुरा तहसील खण्डार द्वारा किया गया कथन कि जॉच दल द्वारा रसद सामग्री की नाप तोल नही की गयी है एवं अन्दाज से ही नाप तोल कर प्रकरण बनाया है किन्तु उक्त कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा पेश नही किया गया। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 17.8.2019 को प्रस्तुत जवाब के आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने की पुष्टि हो जाती है। अपीलान्ट डीलर पर रसद सामग्री 76062.30 किलोग्राम गेंहूँ के गबन बाबत लगाये गये आरोप मे से अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एसबी क्रिमीनल 759/2025 की पालना मे गबन की गयी राशन सामग्री मे से 65897.04 किलोग्राम गेंहूँ अटैचमेंट डीलर श्री गोरधन गर्ग को दिनांक 27.6.2025 को सम्भला दिये गया है। अर्थात स्वंय अपीलान्ट द्वारा भी उक्तानुसार राशन सामग्री का गबन किया जाना माननीय न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा अटैचमेंट डीलर को राशन सामग्री सम्भला देने से उसपर लगाये गये आरोप कम नही हो जाते है बल्कि लगाये गये आरोपो मे से 56897.04 किलोग्राम गेहूँ के गबन की बखूबी पुष्टि हो जाती है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा की कार्यवाही मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 20.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:37:31 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner